बंधुआ मजदूर के संबंध में जिला स्तरीय निगरानी समिति :–

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा–13 की उप धारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके संबंध में पूर्व मे निर्गत सभी आदेशों का अवक्रमण करते हुए, बिहार राज्यपाल राज्य के सभी जिलों के लिए जिला स्तरीय निगरानी समितियाँ निम्नलिखित रुप में गठित करते हैं :–

1. जिला मजिस्ट्रेट — अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति और / या अनुसूचित जनजाति के जिला में रहने वाले — सदस्य

	तीन व्यक्ति (जिनका मनोनयन जिला मजिस्ट्रेट करेंगे)	
3.	जिले मे रहनेवाले 2 सामाजिक कार्यकर्त्ता (जिनका मनोनयन जिला मजिस्ट्रेट के करेगे)	सदस्य
4.	उप विकास आयुक्त और / या उनकी अनुपस्थिति में जिला विकास पदाधिकारी	सदस्य
5.	सहायक, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	सदस्य सचिव
6.	प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण विकास एजेन्सी (राज्य सरकार द्वारा पदेन मनोनित)	सदस्य
7.	केन्द्रीय सहकारिता बैंक या ग्रामीण बैंक या वाणिज्यक बैंक का एक प्रतिनिधि जिसका मनोनयन जिला मजिस्ट्रेट करेगें	सदस्य

2. निगरानी समिति अपनी प्रक्रिया का नियमन स्वयं करेगी और आवश्यकतानुसार सचिवीय सहायता जिला मजिस्ट्रेट सुलभ करायेंगे।

3. निगरानी समितियों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होगें :–

(क) उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धो को ठीक से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों तथा की जानेवाली कार्रवाईयों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को परामर्श देना।

(ख) मुक्त बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए उपबंध करना,

(ग) मुक्त बंधुआ मजदूरों को पर्याप्त उधार की सुविधा का संयोजन करने के उद्देश्य से आवश्कतानुसार ग्रामीण बैंक, सहकारिता बैंको और वाणिज्यक बैंको के कार्यों का समन्वय करना,

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में दायर होनेवाले तथा निपटाये गये मामलों के संख्या पर नजर रखना है।

(च) मुक्त बंधक मजदूर या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके उपर निर्भर किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी बंधक ऋण के रुप में दावा किए जानेवाले किसी अन्य ऋण को सम्पूर्ण या आंशिक वसूली के लिए दायर किए गये किसी मुकदमे बचाव करना।

4. निगरानी समिति की बैठके अपने कार्यों के सम्पादन के लिए उतनी बार हुआ करेगी, जितनी आवश्यक हो, किन्तु हर दो माह में कम से कम एक बार अवश्य हुआ करेगी। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा (जिला मुख्यालय) निगरानी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(अधिसूचना सख्या–13 / बी०एल०–3094 / 38 दिनांक 07.04.1998)2/बी0एस0-1024/26श्र0वि0-19